

पत्रांक-02/सिरीज-22/2015 परि० 3644  
बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
खगड़िया।

पटना, दिनांक 11/6/18

विषय :- जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-373, दिनांक-30.05.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कार्यालय में निबंधन सिरीज **BR-34D**, **BR-34E** एवं **BR-34F** पर निजी वाहनों का निबंधन नहीं किया गया है। निबंधन सिरीज **BR-34H** पर वाहन निबंधित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में डीलर प्वाइंट पर आवंटित सिरीज **BR-34L** में तीन हजार (3,000) निबंधन शेष बचे हैं।


ज्ञातव्य हो कि दिनांक-01.02.2018 से आपके जिले में वाहन-4.0 व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत डीलर प्वाइंट पर निबंधन नहीं किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-3096, दिनांक-13.06.2017 द्वारा डीलर प्वाइंट पर निजी वाहनों हेतु पूर्व आवंटित सिरीज **BR-34L** को जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु प्रारम्भ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-34C** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यवसायिक वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

विदित हो कि निबंधन सिरीज **BR-34D**, **BR-34E** एवं **BR-34F** का आवंटन आपको पूर्व में नहीं किया गया है एवं इन सिरीजों में वाहन निबंधित नहीं होने की संसूचना भी आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। अतः भविष्य में इन सिरीज के अन्तर्गत किसी भी वाहन का निबंधन नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

  
विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-02/सिरीज-22/2015 परि0  
बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
खगड़िया।

पटना, दिनांक .....

विषय :- जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-373, दिनांक-30.05.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कार्यालय में निबंधन सिरीज **BR-34D**, **BR-34E** एवं **BR-34F** पर निजी वाहनों का निबंधन नहीं किया गया है। निबंधन सिरीज **BR-34H** पर वाहन निबंधित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में डीलर प्वाइंट पर आवंटित सिरीज **BR-34L** में तीन हजार (3,000) निबंधन शेष बचे हैं।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक-01.02.2018 से आपके जिले में वाहन-4.0 व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत डीलर प्वाइंट पर निबंधन नहीं किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-3096, दिनांक-13.06.2017 द्वारा डीलर प्वाइंट पर निजी वाहनों हेतु पूर्व आवंटित सिरीज **BR-34L** को जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु प्रारम्भ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-34C** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यवसायिक वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

विदित हो कि निबंधन सिरीज **BR-34D**, **BR-34E** एवं **BR-34F** का आवंटन आपको पूर्व में नहीं किया गया है एवं इन सिरीजों में वाहन निबंधित नहीं होने की संसूचना भी आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। अतः भविष्य में इन सिरीज के अन्तर्गत किसी भी वाहन का निबंधन नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/


विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/सिरीज-22/2015

3644

पटना दिनांक- 11/6/18

प्रतिलिपि :- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।